पाठ–20
सड़क सुरक्षा शिक्षा

- एल्कोहल (शराब) एक अवसादक पदार्थ है। जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक समन्वय को दुर्बल करता है।
- कानूनी रूप से रक्त में एल्कोहल की सान्द्रता 30mg/100mlसे कम होनी चाहिए।
- श्वसन विश्लेषक द्वारा रक्त में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात की जाती है।
- BAC-Blood Alcohol Concentration
- मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 185 के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। जिसमें ड्रइवर को 2000 का जुर्माना या 6 माह की सजा का प्रावधान है।
- रतोंधी से पीडित व्यक्ति, अत्यधिक तेज हेडलाइट एवं गंदी विंड स्क्रीन दुर्घटना का कारण बनती है।
- एक गाडी का तेज गति से चलकर दूसरी गाडी से आगे निकलना ओवर टेकिंग कहलाता है।
- कोहरे में प्रयुक्त लेम्प (Fog Lamp) में LEDबल्ब या जिनान बल्ब काम में लेना चाहिए।
- कोहरे के समय ड्राइवर को हैडलाइट पर पीले रंग का सेलफोन कागज चिपका देना चाहिए क्योंकि पीला रंग की तरंगदैर्ध्य की अधिक होने के कारण यह चारो और अच्छी तरह से फैल जाता है।
- अत्यधिक थकान, निद्रा, इच्छा के बिना किया गया कार्य, शराब का सेवन, तेज शोर का म्यूजिक से ड्राइविंग बाधित होती है।
- दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरन्त विशेष समयावधि के अन्दर अस्पताल में पहुॅचाने के समय को Golden Hourकहते है। जिससे घायल व्यक्ति की जिन्दगी बचाई जा सके।
- प्राथमिक चिकित्सा की मदद से गंभीर दुर्घटना में बचा जा सकता है।
- मोटर वाहन कानून 1988 के अनुच्छेद 184 में ड्राइविंग करते हुए मोबाईल फोन के प्रयोग पर 6 महीने का कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।
- वाहनों के हेड लाईट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
- उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बडा होता है जिससे चालक अपने पीछे के बहुत बडे क्षेत्र को दखने में समर्थ होता है।
- वाहनो के पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
- ऑटोमोबाईल में विधुत धारा का स्त्रोत बैटरी है। बैटरी में दिष्ट धारा (D.C.) प्रवाहित होती है।

Vivaan Classes